पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

सिविल पुनरीक्षण 1955 की सं. 4

निर्णय लिया गयाः 25.04.1957

याचिकाकर्ताओंः **रामौतार तिवारी और अन्य**

बनाम

उत्तरदाताः **जगदीश सिंह और अन्य**

अधिनियम/धाराएं/नियमः

दिवानी प्रक्रिया संहिता-धारा 107 (2), 151,2 (2); आदेश 47, नियम 1; आदेश 7, नियम 11

संदर्भित मामलेः

राधानाथ झा बनाम बच्चा लाल झा, (एस) मनु/बीएच/0093/1955:ए. आई. आर. 1955 पैट 370(सी)

कोटागिरी वेंकट सुब्बम्मा राव बनाम वेल्लंकी वेंकटरामा राव 27 आई. ए. 197

महंथ राम दास चेला बनाम गंगा दास मनु/बीएच/0006/1956:ए. आई. आर. 1956 पैट 20(ए)

आवेदन-दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 47, नियम 1 के तहत एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित दंडात्मक आदेश की समीक्षा के लिए जिसमें निर्देश दिया गया है कि अपील के ज्ञापन पर कम अदालत शुल्क का भुगतान।

एक निश्चित तिथि तक किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर दूसरी अपील किसी पीठ को आगे भेजे बिना खारिज कर दी जाएगी।

मिश्रा और जे. जे. चौधरी न्यायमूर्तिगण के समक्ष पहली बार सुनवाई के लिए आवेदन रखा गया था, जिन्होंने महसूस किया कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ के विचार की आवश्यकता है।

अपेक्षित न्यायालय शुल्क के भुगतान में चूक के कारण खारिज की गई अपील की बहाली के लिए दिवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 151 को उचित नहीं माना गया। ऐसे आवेदन पर उचित न्यायालय शुल्क के भुगतान के पर आदेश 47 नियम 1, दं.प्र.सं के तहत समीक्षा करना उपया है, इस पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है। (पैरा 4)

आवेदन खारिज कर दिया गया। (पैरा 5)

यह संभव है कि कुछ मामलों में कठिनाई पैदा हो सकती है जहां असाधारण या अपरिहार्य कारणों से अपील के ज्ञापन पर घाटे का अदालत शुल्क जमा नहीं किया जा सकता है। उचित उपचार आदेश 47, नियम 1, दिवानी प्रक्रिया संहिता के संशोधन द्वारा है, न कि व्याख्या की आड़ में कानून को संशोधित करके यदि आदेश 47, नियम 1, दं.प्र.सं. में संशोधन की आवश्यकता होती है, तो मामले को विचार के लिए नियम समिति के समक्ष रखने के लिए निबंधक के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है, ताकि यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि क्या ऐसे आवेदन पर उपयुक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान न किया जाना डिक्री के पुनरीक्षण का एक अतिरिक्त आधार हो सकता है। (पैरा 6)

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

सिविल पुनरीक्षण 1955 की सं. 4

निर्णय लिया गयाः 25.04.1957

याचिकाकर्ताओंः **रामौतार तिवारी और अन्य**

बनाम

उत्तरदाताः **जगदीश सिंह और अन्य**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

वैद्यनाथियर रामास्वामी, मुख्य न्यायाधीश, जमुआर और चौधरी, न्यायमूर्तिगण

सलाहकारगणः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः जलेश्वर प्रसाद और ठाकुर ए. डी. सिन्हा, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिएः ए. एन. चटर्जी और गुप्तेश्वर प्रसाद अधिवक्ता ।

आदेश

1. यह आवेदन रामौतार तिवारी और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 47, नियम 1 के प्रावधानों के तहत 22 सितंबर 1954 को इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित दंडात्मक आदेश की समीक्षा के लिए किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अपील के ज्ञापन पर कम अदालत-शुल्क का भुगतान 20 अक्टूबर 1954 तक किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर दूसरी अपील एक पीठ को आगे संदर्भित किए बिना खारिज कर दी जाएगी।

2. आवेदन को पहली बार मिश्रा और चौधरी, न्यायमूर्तिगण के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था, जिन्होंने महसूस किया कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ के विचार की आवश्यकता है।

3. इस आवेदन के समर्थन में श्री जलेश्वर प्रसाद ने यह तर्क दिया कि खंड पीठ के निर्णय का सिद्धांत महंत राम दास चेला बनाम गंगा दास मनु/बी. एच./0006/1956 में बताया गया हैःए. आई. आर. 1956 पैट 20 (ए), इस मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह लिया जाना चाहिए कि दूसरी अपील वास्तव में 21 अक्टूबर 1954 को खारिज कर दी गई थी, और इसलिए यह दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 107 (2) के साथ पठित आदेश 7, नियम 11 के अर्थ के भीतर डिक्री की तारीख थी। इस आधार पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आदेश 47, नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए एक उचित आधार है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने 10 अक्टूबर 1954 को आवश्यक धन भेजा था, और याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में राशि जमा करने में वकील की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं थे क्योंकि वह डाल्टनगंज चले गए थे।

हम विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा का आदेश 22 सितंबर 1954 को दिया गया था और यह दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 के साथ पठित धारा 2 (2) के अर्थ के भीतर डिक्री की तारीख है। हम विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि इस मामले में डिक्री की तारीख 21 अक्टूबर 1954 है, जब दूसरी अपील याचिकाकर्ताओं की ओर से घटे अदालत-शुल्क का भुगतान करने में चूक के कारण खारिज हो गई थी। यदि वह दृष्टिकोण सही है, तो एम.ए.एन.यू./बी.एच./0006/1956 में निर्णय का सिद्धांतःए. आई. आर. 1956 पैट 20 (ए), इस मामले में लागू होता है। उस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि आदेश 47, नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए आधार कुछ ऐसा होना चाहिए जो निर्णय या डिक्री की तारीख को मौजूद था और यह कि नियम किसी डिक्री या निर्णय की समीक्षा को अधिकृत नहीं करता था जो उस समय सही था जब इसे किसी बाद की घटना के आधार पर बनाया गया था। उस मामले में आगे यह

अभिनिर्धारित किया गया कि इस आधार पर एक डिक्री की समीक्षा के लिए आवेदन कि आवेदक डिक्री की तारीख के बाद बीमार हो गया था, स्वीकार नहीं होगा।

इस दृष्टिकोण का समर्थन कोटागिरी वेंकट सुब्बम्मा राव बनाम वेल्लंकी वेंकटरामा राव 27 आई. ए. 197 पृष्ठ 205 (बी) में प्रिवी काउंसिल के एक निर्णय द्वारा किया गया है। हमारी राय में, एम.ए.एन.यू./बी.एच./0006/1956 में निर्णय का तर्कःए. आई. आर. 1956 पैट 20 (ए) सही है। उस तर्क को लागू करते हुए हम मानते हैं कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने आदेश 47, नियम 1, दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनाया है।

4. राधानाथ झा बनाम बाचा लाल झा, (एस) एम. ए. एन. यू./बी. एच./ 0093/1955 मामले में भी इस अदालत की पूर्ण पीठ ने यह निर्णय दिया हैःए. आई. आर. 1955 पैट 370 (सी), कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन उच्च न्यायालय में अपील को बहाल करने के लिए सक्षम नहीं है, जिसे उच्च न्यायालय में अपील के ज्ञापन पर आवश्यक अदालत-शुल्क के भुगतान में चूक के लिए खारिज कर दिया गया था। इस तरह के आवेदन पर उचित अदालत-शुल्क के भुगतान पर आदेश 47, नियम 1, दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत समीक्षा के लिए एक आवेदन के माध्यम से उपयुक्त उपाय है। याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री जलेश्वर प्रसाद ने कहा कि पूर्ण पीठ के इस निर्णय पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर विद्वान अधिवक्ता को पूरी सुनवाई देने के बाद हम संतुष्ट हैं कि इस पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है और इसके लिए आगे किसी विचार की आवश्यकता नहीं है।

5. कानून के इस दृष्टिकोण को लेते हुए हम मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं के इस आवेदन में कोई योग्यता नहीं है। हम तदनुसार इसे खारिज करते हैं; लेकिन इस आवेदन की लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

6. यह संभव है कि कुछ मामलों में कठिनाई पैदा होगी जहां याचिकाकर्ता असाधारण या अपरिहार्य कारणों से अपील के ज्ञापन पर घाटे की अदालत शुल्क जमा करने में विफल रहते हैं। 8 अक्टूबर 1956 के अपने आदेश में, मिश्रा और न्यायमूर्ति चौधरी ने एक चरम मामले का उल्लेख किया है, जिसमें अदालत शुल्क के भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बाद अपीलकर्ता समय पर राशि जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय जाता है, लेकिन अदालत में आने वाले व्यक्ति की जान जाने या पक्ष के नियंत्रण से बाहर अन्य समान कारणों से रेलवे आपदा के कारण ऐसा करने में विफल रहता है। यह निस्संदेह कठिनाई का मामला होगा; लेकिन हमारी राय में उचित उपाय आदेश 47, नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधन द्वारा है, और व्याख्या की आड़ में कानून को संशोधित नहीं करना है। हम, इससे पहले, निर्देश देते हैं कि मामले को प्रशासनिक पक्ष के निबंधक के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि इसे विचार के लिए नियम समिति के समक्ष रखा जा सके कि क्या आदेश 47, नियम 1, दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि घटे न्यायालय शुल्क का भुगतान न करने का मामला उस नियम की शर्तों के तहत डिक्री की समीक्षा के अतिरिक्त आधारों में से एक हो सकता है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।